वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 12

वाणिज्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		561.25	1250.00	1811.25	424.00	1250.00	1674.00	744.00	1070.00	1814.00
पूंजी		*526.00*	*...*	*526.00*	*526.00*	*...*	*526.00*	*606.00*	*...*	*606.00*
जोड़		**1087.25**	**1250.00**	**2337.25**	**950.00**	**1250.00**	**2200.00**	**1350.00**	**1070.00**	**2420.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	29.65	29.65	...	31.30	31.30	...	36.35	36.35
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन										
2. व्यापार आयुक्त	3453	...	73.00	73.00	...	75.00	75.00	...	80.00	80.00
3. विदेश व्यापार महानिदेशक	3453	...	40.50	40.50	...	39.00	39.00	...	40.97	40.97
4. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता										
4.01 निर्यात सब्सिडी	3453	...	676.27	676.27	...	686.22	686.22	...	661.07	661.07
4.02 निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास संगठन को सहायता-अनुदान	3453	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00
4.03 अनाज की निर्यात सब्सिडी	3453	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	जोड़	*...*	*731.28*	*731.28*	*...*	*741.23*	*741.23*	*...*	*716.08*	*716.08*
5. मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास										
5.01 कांडला - एस ई जेड	3453	...	3.52	3.52	...	3.35	3.35	...	3.90	3.90
5.02 इलेक्ट्रोनिक्स (एसईईपीजेड)-एसईजेड	3453	...	6.05	6.05	...	4.71	4.71	...	4.90	4.90
5.03 फाल्टा	3453	...	1.88	1.88	...	1.75	1.75	...	2.06	2.06
5.04 चेन्नई	3453	...	3.86	3.86	...	3.58	3.58	...	4.05	4.05
5.05 कोचीन–एसईजेड	3453	...	2.44	2.44	...	2.35	2.35	...	2.78	2.78
5.06 नोएडा	3453	...	3.93	3.93	...	4.39	4.39	...	5.00	5.00
5.07 विशाखापत्तनम	3453	...	2.18	2.18	...	2.03	2.03	...	2.43	2.43
5.08 इंदौर एस ई जेड	3453	...	0.40	0.40	...	0.38	0.38	...	0.50	0.50
5.09 जयपुर एस ई जेड	3453	...	0.37	0.37	...	0.34	0.34	...	0.40	0.40
5.10 मनीकंचन एस ई जेड कोलकाता	3453	...	0.37	0.37	...	0.31	0.31	...	0.40	0.40
5.11 मुरादाबाद एस ई जेड	3453	...	0.37	0.37	...	0.25	0.25	...	0.35	0.35
5.12 महा-मुम्बई एस ई जेड	3453	...	0.40	0.40	...	...	...	...	0.40	0.40
5.13 जोधपुर एस ई जेड	3453	...	0.37	0.37	...	0.25	0.25	...	0.30	0.30
5.14 ईसीजीसी में निवेश	5465	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
5.15 राष्ट्रीय उत्पाद इन्शूरेन्स लेखा	3453	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
5.16 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	3453	...	1.75	1.75	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
	जोड़	*100.00*	*27.89*	*127.89*	*100.00*	*24.69*	*124.69*	*300.00*	*28.47*	*328.47*
6. कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	53.00	2.00	55.00	45.00	0.65	45.65	55.00	...	55.00
7. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	52.00	4.00	56.00	44.00	1.33	45.33	54.00	4.50	58.50
8. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं										
8.01 वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय	3453	...	10.84	10.84	...	10.97	10.97	...	11.25	11.25
8.02 निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण										
8.02.01 भारत की गुणवत्ता परिषद	3453	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
8.02.02 निर्यात निरीक्षण परिषद	3453	5.89	0.01	5.90	4.59	...	4.59	4.50	...	4.50
8.02.03 ईएएन-भारत	3453	0.41	...	0.41	0.35	...	0.35	0.01	...	0.01
8.02.04 बाजार सुलभता पहल-निर्यात अध्ययन	3453	102.24	...	102.24	5.00	...	5.00	40.00	...	40.00
8.02.05 डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र	3453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.20	...	1.20
8.02.06 संस्थाओं को सहायता	3453	13.55	...	13.55	6.65	...	6.65	4.83	...	4.83
8.02.07 आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	3453	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
	5453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	6.00	...	6.00
	जोड़	*6.00*	*...*	*6.00*	*4.00*	*...*	*4.00*	*10.00*	*...*	*10.00*
8.02.08 फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान	3453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
8.03 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	3453	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	9.90	9.90

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8.04 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	3453	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40
8.05 निर्यात अवसंरचना और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना	5453	385.00	...	385.00	385.00	...	385.00	450.00	...	450.00
8.07 अन्य	3453	...	2.51	2.51	...	1.62	1.62	...	2.00	2.00
	जोड़	*515.24*	*20.76*	*536.00*	*407.74*	*19.99*	*427.73*	*511.69*	*23.55*	*535.24*
जोड़-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन		*720.24*	*899.43*	*1619.67*	*596.74*	*901.89*	*1498.63*	*920.69*	*893.57*	*1814.26*
बागान										
9. सामग्री बोर्ड										
9.01 चाय बोर्ड	2407	54.93	16.00	70.93	54.93	16.00	70.93	35.00	18.00	53.00
9.02 रबड़ बोर्ड	2407	70.60	11.00	81.60	70.60	10.00	80.60	75.00	12.00	87.00
9.03 कॉफी बोर्ड	2407	51.00	13.00	64.00	46.00	13.00	59.00	53.00	13.50	66.50
9.04 मसाला बोर्ड	2407	21.00	3.20	24.20	21.00	1.07	22.07	26.00	1.00	27.00
9.05 काजू वि. संव. परि.	2407	1.00	...	1.00	0.75	...	0.75	0.01	...	0.01
जोड़ - सामग्री बोर्ड		*198.53*	*43.20*	*241.73*	*193.28*	*40.07*	*233.35*	*189.01*	*44.50*	*233.51*
10. बागान की अन्य योजनाएं										
10.01. मूल्य स्थिरीकरण निधि	2407	...	234.13	234.13	...	234.13	234.13	...	50.18	50.18
10.01.01 पी एस एफ न्यास को भुगतान मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना										
से	2407	...	2.08	2.08	...	1.75	1.75	...	2.75	2.75
को	2407	...	-2.08	-2.08	...	-1.75	-1.75	...	-2.75	-2.75
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
10.02 चाय बागान	2407	58.50	...	58.50	51.50	...	51.50	103.00	...	103.00
10.02.01 भारतीय चाय विकास निधि के अंतर्गत चाय बोर्ड को भुगतान										
से	2407	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
को	2407	...	...	...	...	...	...	-50.00	...	-50.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़ - बागान की अन्य योजनाएं		*58.50*	*234.13*	*292.63*	*51.50*	*234.13*	*285.63*	*103.00*	*50.18*	*153.18*
जोड़-बागान		*257.03*	*277.33*	*534.36*	*244.78*	*274.20*	*518.98*	*292.01*	*94.68*	*386.69*
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान										
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्यात विकास निधि										
11.01 अवसंरचना एवं अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता स्कीम	4552	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
11.02 चाय	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.03 रबड़	2552	38.32	...	38.32	38.32	...	38.32	40.00	...	40.00
11.04 कॉफी	2552	19.40	...	19.40	19.40	...	19.40	20.00	...	20.00
11.05 मसाले	2552	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
11.06 चाय बागान	2552	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
11.7 इंडियन पैकेजिंग इंस्टियूट	2552	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	17.00	...	17.00
	2552	1.50	...	1.50	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*108.72*	*...*	*108.72*	*107.22*	*...*	*107.22*	*136.00*	*...*	*136.00*
आपूर्ति और निपटान										
13. डी. जी. एस एन्ड डी	2057	1.26	43.59	44.85	1.26	42.61	43.87	1.30	45.40	46.70
कुल जोड़		**1087.25**	**1250.00**	**2337.25**	**950.00**	**1250.00**	**2200.00**	**1350.00**	**1070.00**	**2420.00**
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. निर्यात ऋण और गारंटी निगम	13465	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
2. अन्य संस्थाएं/निकाय-वस्तु बोर्ड इत्यादि	12401	...	2.50	2.50	...	...	...	...	...	...
3. बागान	12407	...	8.20	8.20	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60
4. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	...	3.50	3.50	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य संस्थाएं/निकाय-वस्तु बोर्ड इत्यादि		*...*	*14.20*	*14.20*	*...*	*1.60*	*1.60*	*...*	*1.60*	*1.60*
जोड़		**100.00**	**14.20**	**114.20**	**100.00**	**1.60**	**101.60**	**100.00**	**1.60**	**101.60**
ग. योजना परिव्यय										
1. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	720.24	3.50	723.74	596.74	...	596.74	920.69	...	920.69
2. बागान	12407	257.03	8.20	265.23	244.78	1.60	246.38	292.01	1.60	293.61
3 फसल कार्य	12401	...	2.50	2.50	...	...	...	...	...	...
4. आपूर्ति और निपटान	32057	1.26	...	1.26	1.26	...	1.26	1.30	...	1.30
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	108.72	...	108.72	107.22	...	107.22	136.00	...	136.00
जोड़		**1087.25**	**14.20**	**1101.45**	**950.00**	**1.60**	**951.60**	**1350.00**	**1.60**	**1351.60**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं** - यह विभाग विदेश व्यापार के क्षेत्र में नीतियां तैयार करता है। इसकी जिम्मेवारियाँ बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, राज्य व्यापार निर्यात संवर्धन उपायों तथा निर्यातोन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास और विनियमन से संबंधित मामलों पर भी लागू होती हैं। यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **व्यापार आयुक्त** - विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यरत 66 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराते हैं और इनका उद्देश्य विश्व के साथ भारत के व्यापार तथा आर्थिक आदान-प्रदान को बढ़ाना है। इन स्कन्धों का प्राथमिक कार्य विश्व बाजार में विद्यमान रूझानों, व्यापारिक कार्यकलापों आदि के बारे में नियमित फीडबैक के जरिए अपनी व्यापार एवं आर्थिक नीतियाँ तैयार करने में सरकार की मदद करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों की स्थापना से जुड़े व्यय के लिए है।

3. **विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी)** - यह प्रावधान डी जी एफ टी कार्यालय के मुख्यालय और उसके 32 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय के लिए है। यह निदेशालय निर्यात संवर्धन हेतु एग्जिम नीति के निष्पादन के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा, यह लाइसेंस जारी किए जाने तथा निर्यात दायित्वों की मानीटिरंग आदि से संबंधित कार्य भी देखता है।

4. **निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास हेतु सहायता** - यह प्रावधान माने गए निर्यात संबंधी लाभों (शुल्क प्राप्ति अदायगी तथा अन्तिम उत्पाद शुल्क की वापसी) के लिए है। इस प्रावधान में, "फोकस एल ए सी", "फोकस अफ्रीका", "फोकस-आसियान + 2" तथा "फोकस-सीआईएस" कार्यक्रम आदि जैसी विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों का भुगतान भी शामिल है।

5. **मुक्त व्यापार/विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) का विकास** - (1) यह प्रावधान मुख्यत उन विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनकी स्थापना घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से पृथक अन्त:क्षेत्रों के रूप में की गयी है और जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन हेतु शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।

विशेष आर्थिक जोन उक्त जोन के भीतर अवस्थित निर्यातोन्मुख एककों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार है।

(ii) ई सी जी सी में निवेश - निगम का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्यिक अथवा राजनीतिक कारणों से निर्यात प्राप्तियों की वसूली न होने की जोखिम के लिए भारतीय निर्यातकों को अनेक प्रकार की बीमा सुरक्षा प्रदान करके, तथा बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को निर्यातकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गारंटियाँ प्रदान कर देश के निर्यातों को सहायता प्रदान करना है।

दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार निगम को चुकता पूंजी, 500.00 करोड़ रूपए है। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसे बढ़ाकर 800.00 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2004-05 और 2005-06 में 100.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

(iii) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) - राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) परियोजनाओं एवं अन्य उच्च मूल्य निर्यातों के लिए ऋण जोखिम सुरक्षा जो राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से वांछनीय है, की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। जिस सीमा तक या तो सामान्य बीमा निगम ("राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्त्ता") अथवा किसी अन्य पुनर्बीमाकर्ता से पुनर्बीमा उपलब्ध हो, उस सीमा तक एन ई आई ए से किसी सहायता की माँग नहीं की जाएगी। परियोजना के लिए पुनर्बीमा यदि केवल आंशिक रूप से उपलब्ध हो तो निधि से केवल उस भाग की सहायता की मांग की जाएगी जो पुनर्बीमा की सुरक्षा के अन्तर्गत नहीं है।

(iv) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आइ एफ टी) को सहायता - मानव संसाधन विकास के जरिए देश के बाह्य व्यापार क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आई आई एफ टी की स्थापना वर्ष 1964 में की गयी थी। इस संस्थान को मई, 2002 में मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। यह संस्थान अन्तराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न क्षेत्र में अनुसंधान एवं परामर्शी कार्य करने के अलावा देश में विदेश व्यापार प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह प्रावधान संस्थान के प्रशासनिक व्यय हेतु सहायता अनुदान है।

6. **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)** - एपीडा की स्थापना वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी और वह अन्य कृषि आधारित उत्पादों का कार्य देखता है। यह प्रावधान निर्यातों के विकास एवं संवर्धन हेतु एपीडा को भुगतान करने के लिए है।

7. **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)** - एम्पीडा की स्थापना वर्ष 1972 में की गयी थी और यह निर्यातों, अपतटीय एवं गहरे समुद्र मत्स्ययन के विनियमन, मत्स्यन जलयानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, निर्यातकों के पंजीकरण के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद विकास उद्योग के लिए जिम्मेवार है। यह प्रावधान एम्पीडा के प्रशासनिक विकास और संवर्धनात्मक कार्यकलाप के लिए है।

8. **विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन की अन्य स्कीमें** -

क. **वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय** - यह निदेशालय विदेशी, अन्तर्देशी तता अनुषंगी व्यापार आंकड़ों के संग्रहण, संकलन तथा प्रकाशन और वाणिज्यक सूचना के प्रसार के लिए जिम्मेवार है। यह निदेशालय व्यापार आंकड़े प्रकाशित करता है जिनका उपयोग अनेक रूपों में किया जाता है। डी जी सी आई एंड एस व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों, शोधकर्त्ताओं, सरकारी तथा अर्धसरकारी एजेंसियों आदि के उपयोग हेतु वाणिज्य पुस्तकालय का रख-रखाव करता है।

ख. भारतीय गुणवत्ता परिषद - यह प्रावधान परिषद को उसके कार्यकलापों और उद्देश्यों के लिए विभाग की ओर से योगदान के लिए है।

ग. निर्यात निरीक्षण परिषद (ई आई सी) - ई आई सी को स्थापना निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अन्तर्गत की गयी थी। ई आई सी के मुख्य कार्य निर्यात हेतु वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण में सुधार हेतु किए जाने वाले उपायों में केन्द्र सरकार को सलाह देना है। यह प्रावधान योजनागत स्कीमों अर्थात् "निर्यात संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, मानव संसाधन विकास और ई आई सी और ई आई ए की प्रयोगशालाओं के लिए भवनों" के कार्यान्वयन के लिए है।

घ. ई ए एन इंडिया - यह निकाय बार कोडिंग क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यह प्रावधान बार कोडिंग के क्षेत्र में सेमिनार/कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि आयोजित करने के लिए है।

ड. बाजार पहुँच पहल (एम ए आई) - यह स्कीम नौवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गयी थी और सतत आधार पर भारतीय निर्यातों के संवर्धन के एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु सरकार द्वारा संशोधित स्कीम दिसम्बर, 2003 में अनुमोदित की गयी थी। यह स्कीम बाजार एवं उत्पाद विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण करने के लिए विशिष्ट कार्यनीति तैयार करने हेतु बनायी गयी है।

च. डब्ल्यू टी ओ अध्ययन केन्द्र - केन्द्र को यह सहायता उक्त केन्द्र के संचालन व्यय के लिए है।

छ. संस्थानों को सहायता - यह प्रावधान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा भारतीय पैकेजिंग संस्थान के व्यय के लिए है जो दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए सरकार द्वारा यथा अनुमोदित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

ज. आधुनिकीकरण एवं उन्नयन - इस स्कीम में डी जी एफ टी में कम्प्यूटरों के उन्नयन तथा कोलकाता में डी जी सी आई एंड एस के लिए कार्यालय भवन के निमार्ण का प्रावधान है।

झ. फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान - यह सहायता मुख्यत एकीकृत प्रदर्शन केन्द्र के निर्माण के लिए है।

ञ. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान - सरकार विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, वस्तुओं के लिए सामान्य निधि आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्य है।

ट. निर्यात बुनियादी संरचना के विकास और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम - इस स्कीम को मार्च, 2002 में प्रारंभ किया गया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे जारी रखा गया। इस स्कीम के परिव्यय के दो घटक हैं। 80 प्रतिशत निधि को राज्यों को आवंटन के लिए रखा जाता है। शेष 20 प्रतिशत को अन्तर्राज्जीय परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर रखा जाता है।

ठ. अन्य - इसमें शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के प्रशासनिक खर्चों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से संबंधित खर्चों के लिए व्यय शामिल हैं।

9. **(i) चाय बोर्ड** - चाय बोर्ड की स्थापना चाय अधिनियम 1953 के अन्तर्गत की गई थी। चाय बोर्ड के प्रमुख कार्य चाय उत्पादन के संवर्धन तथा चाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए कृषि, विनिर्माण, विपणन, निर्यात संवर्धन तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों की सहायता करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

(ii) रबड़ बोर्ड - रबड़ बोर्ड की स्थापना रबड़ बोर्ड अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड के मुख्य कार्यकलाप वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक अनुसंधानों के संवर्धन, विकास एवं प्रोत्साहन देने, रबड़ उपजकर्ताओं को तकनीकी सलाह उपलब्ध कराने, उपजकर्ताओं को रोपण, खेती, आंकड़ों का प्रबंधन एवं संग्रहण के बेहतर तरीकों के बारे में प्रशिक्षण देने से संबंधित हैं।

(iii) कॉफी बोर्ड - कॉफी बोर्ड की स्थापना कॉफी अधिनियम 1942 के अन्तर्गत की गई थी। बोर्ड के मुख्य कार्यकलाप कॉफी उद्योग की वृद्धि एवं विकास के लिए कार्यक्रम एवं परियोजनाएं चलाना, कॉफी के निर्यात को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप, प्रथाओं के उचित पैकेज सहित कीट प्रतिरोधी कॉफी किस्मों को तैयार करना और कॉफी की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय करना है।

(iv) मसाला बोर्ड - मसाला बोर्ड की स्थापना मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा (1) के अन्तर्गत की गई थी। बोर्ड के मुख्य कार्य नई किस्में तैयार करने के लिए चयन/संकरण के जरिए सुधार कर के मसाला फसल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने, गृह प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करने तथा मसालों से संबंधित राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के विकास में सरकार की सहायता करने से संबंधित हैं।

(v) काजू ईपीसी - सरकार द्वारा काजू गुणवत्ता के लिए समेकित स्कीम नामक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के कार्यान्वयन के लिए परिषद को वित्तीय सहायता दी जाती है।

10. कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) - सरकार ने चाय, कॉफी, रबड़ तथा तम्बाकू के 3.42 लाख उपजकर्त्ताओं के लाभ के लिए 500 करोड़ रुपए की मूल निधि से कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना को अनुमोदित किया है। पीएसएफ का उद्देश्य वस्तुओं की कीमत के किसी विनिर्दिष्ट स्तर से कम हो जाने की स्थिति में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना उपजकर्त्ताओं को राहत प्रदान करना है।

11. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान - सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।

12. आपूर्तियां एवं निपटान - यह निदेशालय सामान्य प्रयोक्ता मदों के लिए दर संविदाओं को अन्तिम रूप देने, उनकी खरीद, निरीक्षण, पोत लदान स्टोरों के समाशोधन के लिए है। डी जी एस एंड डी तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्ययों के लिए प्रावधान किया गया है।